निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 अग्रहायण 1941 (श0)

(सं0 पटना 1341) पटना, वृहस्पतिवार, 19 दिसम्बर 2019

सं० 3ए-2-वे०पु०-12/2009(भाग-III)-10047/वि०

वित्त विभाग

संकल्प

17 दिसम्बर 2019

विषयः- न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के द्वारा, सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में, मकान किराया पर की गई वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्ति के सम्बन्ध में।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय,नई दिल्ली द्वारा सिविल अपील सं०-1867/2006 एस०एम०डब्ल्यू० (सी) नं०-1/2017 (पी०आई०एल०-डब्ल्यू० एवं 2/2018 पी०आई०एल०-डब्ल्यू०) में दिनांक 06/11/2019 को उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा निर्गत संकल्प दिनांक 23/07/2019 के अनुरूप आदेश निर्गत करने का आदेश पारित किया गया।

2.राज्य सरकार के अधीन विभिन्न क्षेत्रों के रिहायशी इलाकों का निर्धारित मानक किराया प्रतिवर्ग फीट निम्नवत् है:-

पटना नगर निगम	रु० 18 से 30/- प्रतिवर्ग फीट
पटना नगर परिषद्/अंचल	रु० 03 से 06/- प्रतिवर्ग फीट
नगर निगम (पटना को छोड़कर)	रु० 05 से 22/- प्रतिवर्ग फीट
नगर परिषद्/नगर पंचायत (पटना को छोड़कर)	रु० 01 से 12/- प्रतिवर्ग फीट
अन्य	रु० 2.50 से 9.75/- प्रतिवर्ग फीट

3. मानक भाड़ा दरों में विशिष्ट शहरी क्षेत्र के अधीन एकरूपता नहीं रहने एवं तदनुसार युक्तिसंगत अधिसीमा के अन्तर्गत न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में मकान किराया पर की गई वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्त्ति का विषय राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

4. अतएव, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त निर्णय लिया जाता है कि-

(क)बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी के लिए अनुमान्य मानक आवासीय क्षेत्रफल निम्नवत् है:-

क्र०सं०	पदनाम		मानक क्षेत्रफल
1.	सिविल जज, जुनियर डिवीजन (मूल कोटि)	-	120.82 वर्ग मीटर (बहुमंजिला)
2.	सिविल जज, सिनीयर डिवीजन/ मुख्य दण्डाधिकारी/अवर न्यायाधीश	-	176.5 वर्ग मीटर (बहुमंजिला)
3.	अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश	-	206.7 वर्ग मीटर
4.	जिला एवं सत्र न्यायाधीश	-	233.5 वर्ग मीटर

(ख) सरकारी आवास की अनुपलब्धता की दशा में न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को निम्नलिखित अधिसीमा के अधीन मानक क्षेत्रफल के आधार पर मकान किराया पर की गई वास्तविक व्यय की राशि की प्रतिपूर्ति की जा सकेगी:-

क्र०सं०	क्षेत्र का प्रकार	- अधिकतम किराया प्रतिवर्ग फीट की दर से
1.	पटना नगर निगम	- रु० 20/-
2.	सभी अन्य नगर निगम क्षेत्र	- रु० 12/-
3.	सभी नगर परिषद्	- रु० 10/-
4.	सभी नगर पंचायत	- रु० 08/-
5.	अन्य	- रु० 06/-

(ग) बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारी पदस्थापन के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकार को सरकारी आवास हेतु आवेदन देंगे।

(घ) बिहार न्यायिक सेवा के विभिन्न कोटि के पदाधिकारी सरकारी आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उपर्युक्त मानक क्षेत्रफल की अधिसीमा तक या उसके अन्तर्गत भाड़े का आवास स्व-प्रयास से ले सकेंगे।

(ङ) भाड़े का आवास पदस्थापन स्थल के 08 किलोमीटर के परिधि के अन्तर्गत स्व-प्रयास से लिया जा सकेगा।

(च) मानक किराया के अनुमान्य आवास किराया भत्ता से अधिक होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी को अन्तर राशि की प्रतिपूर्त्ति की जा सकेगी।

(छ) अन्तर राशि की प्रतिपूर्ति हेतु संबंधित न्यायिक पदाधिकारी द्वारा जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नियंत्री पदाधिकारी (जो लागू हो) को आवेदन पत्र दिया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ मकान मालिक के साथ किये गये एकरारनामा की सत्यापित प्रति आवश्यक रूप से संलग्न किया जायेगा।

(ज) जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नियंत्री पदाधिकारी संतुष्ट होकर प्रतिपूर्त्ति संबंधी स्वीकृत्यादेश निर्गत करेंगे। स्वीकृत्यादेश निर्गत करने के क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश/नियंत्री पदाधिकारी आश्वस्त हो लेंगे कि भाड़े के आवास के सम्पूर्ण क्षेत्रफल में संबंधित पदाधिकारी एवं उनके आश्रित/परिवार ही आवासित रहते हैं।

(झ) ऊपरि कंडिका-(क) में अंकित मानक क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल का आवास भाड़े पर आवास लिये जाने की स्थिति में मानक क्षेत्रफल के हद तक ही किराया/ किराया प्रतिपूर्त्ति अनुमान्य होगा।

(ञ) अंतर राशि का भुगतान उसी शीर्ष से होगा, जिस शीर्ष से वेतन एवं भत्ते की निकासी होती है।

(ट) उपर्युक्त कंडिका-4(क) के आलोक में सरकारी आवास आवंटन होने एवं सरकारी आवास की सुविधा न्यायिक पदाधिकारी द्वारा स्वीकार नहीं किये जाने की स्थिति में उपर्युक्त प्रतिपूर्त्ति की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(ठ) किराया प्रतिपूर्त्ति की उपर्युक्त सुविधा अनुमान्य किये जाने के पश्चात् सरकारी आवास की उपलब्धता की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा, तुरंत के प्रभाव से संबंधित न्यायिक पदाधिकारी को सरकारी आवास आवंटित कर दिया जायेगा। इस दशा में संबंधित पदाधिकारी को आवंटित आवास में निवास करना अनिवार्य होगा एवं किराया प्रतिपूर्ति की सुविधा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
राहुल सिंह,
सचिव (व्यय)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 1341-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in